सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
CENTRAL TO YOU SINCE 1911

शाखा - खरसिया (छ.ग.)

ई-नीलामी विक्रय सूचना

अग्रिम धरोहर राशि व प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय : दिनांक 25/11/2019 सायं.04.00 बजे तक

ई-नीलामी की तिथि: 27/09/2019 समय-(11.30AM से 12.30 PM तक)

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का प्राधिकृत अधिकारी होने के कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2000 का अधि. क्र. 54) तथा उसके अधीन नियमों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न विवरणानुसार बैंक के पक्ष मे बंधक संपत्ति/यों की "जहाँ है, जैसी है" तथा "बिना किसी शिकायत" के आधार पर वेबसाईट https://centralbank.auctiontiger.net आधारित ई-नीलामी निर्धारित की जाती है।

लॉट क्र.	ऋणी का नाम	संपत्ति का विवरण	धारा 13(2) डिमाण्ड नोटिस (दि. 24.04.2019) के अनुसार कुल बकाया राशि	प्रारक्षित मूल्य	अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि	बिड बोली वृध्दि राशि	ई-नीलामी की तिथि एवं समय
1.	ऋणी - मेसर्स हेलो टैक्ट्र, प्रो. रितेश श्रीवास्तव, पिता - श्री अवधेश श्रीवास्तव, सपिया बायपास रोड, खरसिया, जिला रायगढ (छ.ग.)	**(अ)अचल सम्पत्ति - खसरा नं.-328, रकबा-1.332 हेक्टे., प.ह.न.-05, स्थित-वार्ड न.6, ग्राम-देवरघटा, पोस्ट-डभरा, जिला-जांजगीर चांपा (छ.ग.) स्वामित्व- श्री रितेश श्रीवास्तव** **<u>चौहदी</u> :** **उ. अगहनमती की भूमि ,** **द. गेसबाई की भूमि,** **पू. सी सी रोड,** **प. अगहनमती की भूमि ।** **(ब) खसरा न. 141/1(भाग) 141/5(नया) प.ह.न.09, रकबा- 0.242हेक्ट., ग्राम - कुधरी, तहसील - मालखरौदा, जिला - जांजगीर चापा (छ.ग.)** **<u>चौहदी</u> :** **उ. सक्ती टुंडरी मुख्य मार्ग** **द. फदराम का बाडी** **पू. अन्पूर्णा की भूमि तथा** **प. बकाया खसरा**	दिनॉक 20.04 .2019 , राशि-रु. 61,50,931 + ब्याज+ अन्य व्यय	(अ) रु.59.22 लाख (ब)रु.18.90 लाख	10% प्रतिशत प्रारक्षित राशि का	10,000/-	**27 नम्बवर 2019 समय –प्रात: 11.30 बजे से 12.30 PM तक यदि कोई बोली ई-नीलामी का समयावधि पूर्ण होने के अंतिम 5 मिनट मे आती है तो ई-नीलामी का समय स्वत: ही 5 मिनट विस्तारित हो जावेगा (ई-नीलामी प्रक्रिया संपन्न होने तक असिमित अवधि के लिये)**

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
CENTRAL TO YOU SINCE 1911

अधिक जानकारी तथा अन्य नियम व शर्ते के लिए सम्पर्क करें-श्री-राजकिशोर गुप्ता , प्राधिकृत अधिकारी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 'kk[kk &खरसिया मो. न.92850-06849 एवं 925006829

दिनांक -21.10.2019 **प्राधिकृत अधिकारी**

mijksDr प्रकरणो मे जारी ई-नीलामी सूचना दिनांक 21.10 .2019 के संबंध मे अधिक विवरण तथा नियम व शर्ते निम्नfyf[kr gSa (नियत ई-नीलामी दि. 27.11.2019) |

1. ई-नीलामी "जहाँ है, जैसी है" तथा "बिना किसी शिकायत" के आधार पर तथा सरफेसी अधिनियम तथा उसके नियमों के अधीन की जावेगी।

2. प्राधिकृत अधिकारी के अधिकतम ज्ञान एवं जानकारी अनुसार संपत्ति पर कोई भार नही है।यद्यपि इच्छुक निविदाकर्ता बिड भरने के पूर्व संपत्ति पर प्रभार, नीलामी हेतु प्रस्तुत संपत्ति का स्वामित्व तथा दावों/ अधिकार/ देनदारियाँ आदि विषय मे स्वतंत्र जाँच करे। ई-नीलामी नोटिस बैंक द्वारा किसी प्रकार की प्रतिबध्द्ता अथवा अभिवेदन नियत नही करता है। संपत्ति वर्तमान भार या भविष्य के किसी प्रभार जो बैंक के जानकारी मे हो अथवा नही, के सहित नीलाम की जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी / प्रतिभूत लेनदार किसी प्रकार से तृतीय पक्ष के दावों / अधिकारों / देनदारियों के लिये उत्तरदायी नही रहेंगे।

3. यह निविदाकर्ता के जिम्मेदारी है कि वह निविदा के पूर्व संपत्ति व उसके विनिर्देशन का स्वयं निरीक्षण कर संतुष्ट हो लेवे। इच्छुक निविदाकर्ताओं को नीलामी हेतु प्रस्तुत संपत्ति का निरीक्षण संबंधित स्थल पर इस प्रकाशन की तिथि से निविदा प्रपत्र व अग्रिम धरोहर राशि जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रातः 10.00 बजे से सायं. 04.00 बजे तक अनुमत किया जावेगा।

4. इच्छुक निविदाकर्ता के पास वैध ई-मेल एवं पैन नंबर होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए कृपया मे. ई- प्रोक्योरमेंट टेक्नॉलॉजिस लि. (ईटीएल), ए – 801/802, वॉल स्ट्रीट-II, ओरिएंट क्लब के सामने, गुजरात कॉलेज के पास, अहमदाबाद-380 006 से प्राप्त कर सकते है।संपर्क:दूरभाष - 07030464421, ई-मेल-E-Mail ID: chhattisgarh@auctiontiger.net,& support@auctiontiger.net.

5. इच्छुक निविदाकार को अग्रिम धरोहर जमा राशि वेब पोर्टल https://centralbank.auctiontiger.net (यूजर आईडी एवं पासवर्ड वेबसाईट पर अपना नाम पंजीकृत कर नि:शुल्क प्राप्त किया ज स्कता है) लॉग इन व पासवर्ड के माध्यम से कर सकते है। अग्रिम धरोहर जमा राशि (प्रारक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत) NEFT/RTGS के द्वारा खाता क्र. 3663154637 खाते का नाम- प्राधिकृत अधिकारी ई-नीलामी, हिताधिकारी बैंक का नाम- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा-रायगढ, IFSC कोड-CBIN0280799 मे जमा करनी होगी। कृपया नोट करें कि अग्रिम धरोहर जमा राशि हेतु चेक / डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार्य नही होंगे।

6. वेब पोर्टल पर निविदाकार के पंजीकरण पश्चात इच्छुक निविदाकार/क्रेता को निम्नवत दस्तावेज बिड की अंतिम तिथि के पूर्व वेब पोर्टल पर अपलोड कराना आवश्यक होगा। जैसे-i) NEFT/RTGS चालान प्रति ii)पैन् कार्ड प्रति iii) पहचान प्रमाणपत्र जैसे- स्व-सत्यापित वोटर पहचान पत्र/ड्रायविंग लाईसेंस/पासपोर्ट/ आधार आदि, iv) निवास प्रमाण की प्रति, जिसके बिना बिड निरस्त की जा सकती है।

7. इच्छुक निविदाकार ई-नीलामी का ऑन-लाईन प्रशिक्षण मे. ई- प्रोक्योरमेंट टेक्नॉलॉजिस लि. (ईटीएल), ए – 801/802, वॉल स्ट्रीट-II, ओरिएंट क्लब के सामने, गुजरात कॉलेज के पास, अहमदाबाद -380006 से प्राप्त कर सकते है।दूरभाष-07030464421,ई-मेल-E MailID:chhattisgarh@auctiontiger.net,& support@auctiontiger.net. तथा संपत्ति से संबंधित कोई भी जानकारी के लिये श्री.राजकिशोर गुप्ता **eq[; izca/kd] मोबा.-92850-06849 एवं 9285006829** ई-मेल-**bmambi1472@centralbank.co.in** से सभी कार्यदिवसों मे कार्यावधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है।**ई-नीलामी प्रक्रिया मे केवल वैध यूजर आईडी/पासवर्ड धारक तथा धरोहर राशि के भुगतान की पुष्टिकृत निविदाकर्ता ही भाग ले सकेगे।**

8.जिस इच्छुक निविदाकार द्वारा अग्रिम धरोहर जमा राशि ऑन-लाईन माध्यम से दि. 25.11.2019 सायं.4.00 बजे तक जमा की गई हो, वह ई-नीलामी प्रक्रिया मे भाग लेने हेतु पात्र होगा। उक्त सपत्ति की ई-नीलामी उनके सम्मुख दर्शाये गयी तिथि एवं समय पर निविदाकर्ताओं के मध्य परस्पर बोली अनुसार की जावेगी। निविदाकर्ता अपनी बोली "बिड वृध्दि राशि" कंडिका मे संबंधित संपत्ति के सम्मुख दर्शायी गयी राशि के गुणन मे वृध्दि कर सकता है। यदि कोई बोली ई-नीलामी का समयावधि पूर्ण होने के अंतिम 5 मिनट मे आती है तो ई-नीलामी का समय स्वतः ही 5 मिनट विस्तारित हो जावेगा (ई-नीलामी प्रक्रिया संपन्न होने तक असिमित अवधि के लिये)। ई-नीलामी के समापन पर उच्चतम बोली (प्रारक्षित मूल्य से कम नही) लगाने वाले को प्राधिकृत अधिकारी/ प्रतिभूत लेनदार के अनुमोदन से सफल बोलीकर्ता घोषित किया जायेगा, जिसकी जानकारी उसे इलेक्टॉनिक माध्यम से दी जावेगी।

9. सफल बोलीकर्ता की अग्रिम धरोहर जमा राशि (ईएमडी) विक्रय प्रतिफल के अंश के रुप मे प्रतिधारित की जावेगी तथा असफल बोलीकर्ताओं को ईएमडी राशि वापिस की जावेगी। अग्रिम धरोहर जमा राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा। सफल बोलीकर्ता को विक्रय मूल्य का 25 प्रतिशत, अग्रिम धरोहर जमा राशि समायोजित करते हुए तुरंत जमा कराना होगा तथा विक्रय मूल्य की शेष 75 प्रतिशत राशि 15 दिन या उसके अन्दर य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा केवल उनके विवेक अनुसार सहमति के आधार पर बढाई गई अवधि के अन्दर जमा कराना होगा।सफल बोलीकर्ता भुगतान करने मे असफल रहने की स्थिति मे उसके द्वारा जमा राशि जब्त कर ली जावेगी तथा संपत्ति पुन: नीलाम की जावेगी तथा चूककर्ता ऋणी का कोई दावा/अधिकार उक्त संपत्ति /राशि पर नही होगा।

10. इच्छुक निविदाकार ई-नीलामी तिथि के पूर्व ई-नीलामी का ऑन-लाईन प्रशिक्षण मे. ई- प्रोक्योरमेंट टेक्नॉलॉजिस लि. (ईटीएल), ए – 801/802, वॉल स्ट्रीट-II, ओरिएंट क्लब के सामने, गुजरात कॉलेज के पास, अहमदाबाद -380 006 से प्राप्त कर सकते है। दूरभाष - 07030464421, ई-मेल-E-Mail ID:chhattisgarh@auctiontiger.net,& support@auctiontiger.net.प्राधिकृत अधिकारी/ बैंक अथवा मे. ई- प्रोक्योरमेंट टेक्नॉलॉजिस लि. (ईटीएल), किसी भी इंटरनेट शिकायत विफलता के लिये जिम्मेदार नही होगा तथा इच्छुक बोलीकर्ता ई-नीलामी प्रक्रिया मे सम्मिलित होने हेतु स्वयं अपने स्तर पर तकनीकी व्यवस्था सुनिश्चित करे।

11. स्टाम्प शुल्क/अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क/हस्तांतरण व्यय, फीस आदि तथा किसी को देय सभी वैधानिक / वैधानिक से अतिरिक्त देनदारियाँ, कर, दर, निर्धारण शुल्क, फीस आदि क्रेता द्वारा वहन किया जावेगा।

12. प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम बोली स्वीकार करने को बाध्य नही होगा तथा वह किसी एक या सभी बोली को स्वीकृत या अस्वीकृत करने या बिना कोई कारण बताये ई-नीलामी स्थगित करने /आगे बढाने/निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

13. निविदाकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि बिड जमा करने तथा ई-नीलामी मे सम्मिलित होने के पूर्व मे. ई- प्रोक्योरमेंट टेक्नॉलॉजिस लि. (ईटीएल)के वेब पोर्टल http://centralbank.auctiontiger.net. पर उपलब्ध ई-नीलामी के विस्तृत नियमों व शर्तों का अवलोकन कर ले।

दिनांक- 21.10.2019

स्थान- खरसिया

प्राधिकृत अधिकारी

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अधीन 30 दिनों की वैधानिक सूचना

ऋणकर्ता/गारंटर को एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित राशि का अद्यतन ब्याज व अनुषंगी व्यय सहित भुगतानकरें अन्यथा संपत्ति की नीलामी विक्रय की जावेगी एवं शेष राशि, यदि कोई हो तो, ब्याज एवं व्यय के साथ वसूल की जावेगी।